The postal distribution system in the villages of Kanyakumari district is satisfactory. Letters, telegrams, money-orders and registered letters are generally delivered in time. However, instances of delays do occur due to various reasons such as cancellation/late running of mail-carrying buses, trains and planes, natural calamities and due to sudden and exceptionally heavy volume of mails like Corporate mail and Greetings mail.

(c) The transmission and delivery of mails and money orders in the State is continuously monitored at various levels and corrective measures are taken wherever deficiencies are noticed.

नये टेलीफोन एक्सचेंजों का स्थापित किया जाना

2580. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवेः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने हेतु स्थानों का चयन कर लिया है;

(ख)यदि हां, तो त्रिपुरा सहित राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधि ब्यौरा क्या है;

(ग़)क्या उक्त परियोजनाओ को शुरू कर दिया गया है;

(घ)यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड)क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से सुझाव आमांत्रित किए है;

(च)यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(छ)क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय किया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)ः (क) से (घ) 1997-98 के लिए स्थापना-कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ड)से (छ) हमारी नीती के अनुसार, जब कभी पंजीकृत मांग बढ़कर 10 (दस) अथवा इससे अधिक हो जाती है तो एक नया एक्सचेंज खोलने की योजना बनायी जाती है। विशिष्ट मामलों में, जहां कहीं राज्य सरकार कुछ एक्सचेंज खोलने के लिए कहती है, उन मामलों में उसे 10 (दस) अथवा इससे अधिक की पंजीकृत मांग दर्शानी होती है। इस मामले में ऎसी कोई मांग नहीं है। इस मामले में ऎसी कोई मांग नहीं है।

सेल्युलर फोन सेवाओं हेतु प्रभार

2581.**श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्लाः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)देश में सेल्युलर फोन सेवाओं के लिए अनुबंधित किए गए आपरेटरों और कम्पनियों का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख)क्या दूरसंचार विभाग एन सेल्युलर फोन सेवाओं हेतु कोई न्यूनतम और अधिकतम प्रभार निर्धारित किए है;

(ग)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय सेल्युलर फोन सेवा कम्पनियों द्वारा किस दर पर प्रभार वसूल किए जा रहे है;

(ड़) क्या सेल्युलर फोन कम्पनियों ने दरों में भारी कमी करने की घोषण की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)ः (क) विभाग ने संलग्र विवरण-I मे दिए गए ब्यौरों के अनुसार, देश में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रार्चालनार्थ 21 भारतीय पंजीकृत कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए है। (नीचे देखिए)

(ख)और (ग) विभाग ने , लाइसेंसधारियों के उपभोक्ताओं से उनके द्वारा वसूल किए जाने वाले टैरिफ की सीमा निर्धारित कर दी है। टैरिफ की सीमा-संबंधी ब्यौरे विवरण –II में दिए गए है. (नीचे देखिए) लाइसेंसधारी इस सीमा के नीचे प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है। टैरिफ की सीमा की सरकार द्वारा पुनरीक्षा की जाती है।

(घ) से (छ) टैरिफ सीमा के भीतर, प्रचालक कम टैरिफ वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। कंपनिया अपने उपभोक्ता ओं को अलग-अलग पैकेजों की पेशकश करती है तथापि जब तक वे निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत होते है, सरकार द्वारा इन्हें विनियमित नहीं किया जाता है।

विवरण-I

14.3.1997 की स्थिति के अनुसार सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालने हेतु लाइसेंसधारियों के नाम

क. महानगर	
कंपनी का नाम	शहर
बीपीएस सिस्टम्स एंड प्रोजेक्ट्स लि0	बंबई
हचिंसन मैक्स टेलीकॉम	बंबई
मोदी टेल्स्ट्रा प्रा0 लि0	कलकत्ता
ऊवा मार्टिन टेलीकॉम लि0	कलकत्ता
भारतीय सेल्युलर लि0	दिल्ली
स्टर्लिंग़ सेल्युलर लि0	दिल्ली
आरपीजी सेल्युलर सर्विसेज लि0	मद्रास
स्काईसेल कम्युनिकेशन्स प्रा0 लि0	मद्रास
ख. क्षेत्रीय (टैरिटोरियल) दूरसंचार सर्किल	
कंपनी का नाम	सर्किल
एयरसेल डिजिलिंक इंडिया लि0	हरियाण
	उत्तर प्रदेश
	(पूर्व)
	राजस्थान
फैसिल लि0	
हेक्साकॉम इंडिया लि0	राजस्थान
	उत्तर पूर्व
जे टी मोबाइल्स लि0	आन्ध्र प्रदेश,
	पंजाब, कर्नाटक
कोशिका टेलीकॉम प्रा0 लि0	बिहार, उडीसा,
	उत्तर प्रदेश
	(पश्चिम), उत्तर
	प्रदेश (पूर्व)

कंपनी का नाम	सर्किल
टाटा कम्युनिकेशन्स प्रा0 लि0	आन्ध्र प्रदेश
एस्कोटेल मोबाइल कम्युनिकेशन्स	हरियाणा
प्रा0 लि0	उत्तर प्रदेश
	(पश्चिम)
	केरल
भारतीय टेलीनेट लि0	हिमाचल प्रदेश
सेल्युलर कम्युनिकेशन इंडिया लि0	मध्य प्रदेश
मोदीकॉम नेटवर्क प्रा0 लि0	कर्नाटक
	पंजाब
बिरला ए टी एंड टी कॉम लि0	गुजरात
	महाराष्ट्र
रिलायंस टेलीकॉम प्रा0 लि0	पश्चिम बंगाल
	असम
	बिहार
	हिमाचल प्रदेश
	उत्तर पूर्व
	मध्य प्रदेश
	उडीसा
बी पी एल यू एस वेस्ट सेल्युलर	तमिलनाडु
	केरल
	महाराष्ट्र

विवरण

सेल्युलर मोबाइल सेवा की अधिकतम टैरिफ-सीमा।

1. सेवा के लिए मासिक माह किराया : 156 रु0 प्रति
2. सुरक्षा जमा-धनराशि : 3000 रु0
3. संस्थापन प्रभार : 1200 रु0
4. कॉल प्रभार:-

4.1 मोबाइल उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली कॉलों के लिए: -10 सेकिड़ प्रति यूनिट कॉल की दर से एयर टाइम प्रभार जमा स्थानीय एस टी डी और आई एस डी कालों के लिए निर्धारित नेटवर्क हेतु लागू प्रभार। एक ही सेल्युलर सेवा क्षेत्र के भीतर मोबाइल से मोबाइल तक की कॉलों के लिए, केवल एयर टाइम प्रभार ही वसूल किए जाएंगे।

4.2 मोबाइल उपभोक्ता को की गई कॉलों के लिए:- 10 सेकिड प्रति यूनिट कॉल की दर से एयर टाइम प्रभार वसूल किया जाएगा। मोबाइल उपयोक्ता से उस स्थिति में कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा यदि मोबाइल उपभोक्ता इनकमिंग कॉल को 5 सेकिड के भीतर समाप्त कर लेता है।

5. टैरिफ पर टिप्पणियां:-

5.1 मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए कॉल अवधि एयर टाइम आधार पर होगी ।

5.2 एयर टाइम यूनिट कॉल, दूरसंचार विभाग के स्थित नेटवर्क (इस समय 1.40 रु0 प्रति यूनिट) के उच्चतम स्लैब पर लागू यूनिट दर पर प्रभावित की आएगी। यूनिट दर, सभी कॉलों के लिए उपर्युक्त के अनुसार लागू होगी तथा कोई टैलिस्कोपिक दरें नहीं है।

5.3 व्यस्त अवधि के दौरान एयर टाइम के लिए कॉल प्रभार, ऊपर पैरा 4 में निर्धारित दरों की दुगुनी दरों से अनधिक दरों पर निर्धारित नहीं होंगे। व्यस्त अवधि को प्रति दिन अधिकतम चारो घंटों तक प्रतिबंधित किया जाएगा।

5.4 एयर टाइम हेतु कॉल प्रभार, रविवार, दिवसों और तीन राष्ट्रीय अवकाश दिवसों (15 अगस्त,, 26 जनवरी और 2 अक्तूबर) के दौरान उपर्युक्त पैरा 4 में निर्धारित दरों की आधी दरों पर होंगे।

5.5 सचल उपयोक्ता से स्थिर नेटवर्क को की गई कॉलो के लिए, लाइसेंसधारी सचल उपरोक्ता से कॉल के समय और दिन के अनुसार दूरसंचार प्रधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर प्रभार वसूल करेगा। ऐसी कॉलों के लिए यूनिट दर (इस समय 1.40 रु0 प्रति यूनिट दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क को उच्चतम स्लेब दर होगी। यूनिट दर सभी कॉलों के लिए उपर्युक्त के अनुसार लागू होगी और कोई टेलीस्कोपिक दरें नहीं है।

5.6 एयर टाइम में जोई नि:शुल्क कालें नहीं दी जानी है।

5.7 स्थिर नेटवर्क से मोबाइल को की जाने वाली सभी कॉलों के लिए मोबाइल उपभोक्ता से एयर टाइम के लिए प्रभार लिए जाएंगे तथा दूरसंचार विभाग द्वारा सेल्युलर प्रचालक को कोई अभिगम्यता शुल्क (एक्सेस-फ्री) नहीं देना पड़ेगा। एयर टाइम प्रभार सेल्युलर प्रचालक द्वारा एकव किए जाएंगे।

5.8 मोबाइल से मोबाइल के लिए कॉल करने वाली तथा कॉल की गई पार्टी, दोनों से ही प्रभार वसूल किए जाएंगे।

6. सभी प्रकर की टैरिफ अभिवृद्वि दूरसंचार प्रधिकरण तथा/ अथवा इसके उत्तरधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगी।

7. किराए में उपभोक्ता के टर्मिनल उपस्कर (मोबाइल टैऊसेंट) की लागत शामिल नहीं है। उपभोक्ता किसी भी स्रोत टर्मिनल उपस्कर की खरीद करने के लिए स्वतंत्र है।

ISD/STD/PCO Booth in Punjab

2582. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the total number of ISDSTEVPCO Booths to be provided in the State of Punjab during the year 1997-98, district-wise;

(b) the total number of the applications who have at present applied for getting ISD/STD/PCO Booths in the State; and

(c) the measures taken or proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VERMA): (a) Targets for 1997-98 are being finalised. Information will be laid on the Table of the House as early as possible.

(b) 5353.